उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या– 30 / 2023

राम कुमार मुण्डा वगै० बनाम् किसुन महतो वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
25.08.2023 19/11/23	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी 1. राम कुमार मुण्डा, पिता–स्व० बंधन पाहान, 2. लखन पाहान, पिता–स्व० सोहराय पाहान, 3. गोवर्धन मुण्डा, पिता–स्व० मंगला पाहान, 4. सरलु मुण्डा, पिता–स्व० सोमरा पाहान, सभी निवास ग्राम–लेम, थाना–बासल, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–14 / 2021–22 राम कुमार मुण्डा वगै० बनाम किसुन महतो एवं अन्य में दिनांक–05.01.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215(5) C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–लेम के थाना नं०–36 खाता नं०–07 प्लॉट सं०–376, रकवा–2.40 ए०, प्लॉट सं०–377, रकवा–0.15 ए०, प्लॉट सं०–388, रकवा–0.31 ए०, प्लॉट सं०–389, रकवा–0.36 ए०, प्लॉट सं०–390, रकवा–0.59 ए० कुल रकवा–3.81 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–लेम के थाना नं०–36 खाता नं०–07 प्लॉट सं०–376, रकवा–2.40 ए०, प्लॉट सं०–377, रकवा–0.15 ए०, प्लॉट सं०–388, रकवा–0.31 ए०, प्लॉट सं०–389, रकवा–0.36 ए०, प्लॉट सं०–390, रकवा–0.59 ए० कुल रकवा–3.81 ए० भूमि सर्वे खतियान में बिरू पाहन के नाम से आदिवासी खाते की भूमि दर्ज है। अपीलार्थी खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि पर दावा करते है। विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत भूमि बाजीदावा के आधार पर दावा करते है। अपीलार्थी का कहना है कि हमलोग मुण्डा जाति के है जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। हमलोगों के खतियान बिरू पाहान के नाम से है। उक्त भूमि की जमाबंदी पंजी–II के पेज नं०–132 / I पर बिरू पाहान के नाम से कायम है। उन्होनें आगे कहा है कि विपक्षी द्वारा बाजीदावा संख्या–2890, दिनांक–30.05.1963 द्वारा खोयना पाहान से तीरतु महतो को प्राप्ति का दावा करते है। उन्होनें कहा कि बाजीदावा नियमसंगत दस्तावेज नहीं होता है। उन्होनें आगे कहा है कि विपक्षी ग्राम–लेम के नहीं ग्राम–बिचा का रहने वाला है। चुकि भूमि आदिवासी खाते की है। तो बिना उपायुक्त के अनुमति से भूमि हस्तांतरण होना	

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) का उल्लंघन किया गया है। उन्होनें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है। उन्होनें एक सुधारनामा आवेदन दिया है जिसमें कहा है कि गलती से प्लॉट नं०–388 के स्थान पर 383 एवं प्लॉट नं०–390 में रकवा–0.59 ए० के स्थान पर रकवा–0.54 ए० दर्ज हो गया है। विपक्षी का कहना है कि मौजा–लेम के थाना नं०–36 खाता नं०–07 प्लॉट सं०–376, रकवा–2.40 ए०, प्लॉट सं०–377, रकवा–0.15 ए०, प्लॉट सं०–388, रकवा–0.31 ए०, प्लॉट सं०–389, रकवा–0.36 ए०, प्लॉट सं०–390, रकवा–0.59 ए० कुल रकवा–3.81 ए० भूमि की जमाबंदी पंजी–II के पेज नं०–84/I पर विपक्षी के पूर्वज तिरतु महतो के नाम से कायम है एवं लगान रसीद 2020–21 तक निर्गत है। अपीलार्थी का यह दावा की खाता संख्या–07 के सम्पुर्ण भूमि की जमाबंदी बिरू पाहान के नाम से चल रहा है, असत्य है। उन्होनें कहा है कि उन्हे उक्त भूमि केवाला संख्या–2890, दिनांक–30.05.1963 से हासिल है अर्थात आदिवासी रैयत प्रश्नगत भूमि से लगभग 53 वर्षो से अधिक समय से बेदखल है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) के अनुसार आदिवासी रैयत को 12 वर्षो के अंतर्गत आवेदन दायर किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। उन्होनें अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा पत्रांक–1992, दिनांक–13.12.2021 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम–लेम के खाता संख्या–07 सर्वे खतियान में आदिवासी में आदिवासी खाते की भूमि दर्ज है। खतियान के अनुसार खाता संख्या–07 विरू पाहन के नाम से राजस्व पंजी–II के पृष्ठ सं०–132/I पर 14.89 ए० भूमि की जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2021–22 तक निर्गत है। द्वितीय पक्ष को 3.81 ए० भूमि केवाला खरीदगी से प्राप्त है। राजस्व पंजी–II के पृष्ठ सं०–84/I पर तिरतु महतो के नाम से खाता संख्या–07 कुल रकवा–3.81 ए० भूमि की जमाबंदी कायम है। एवं लगान रसीद 2020–21 तक निर्गत है। राजस्व पंजी–II में द्वितीय पक्ष की जमाबंदी किस आधार पर दर्ज है, प्राधिकार कॉलम में वर्णित नहीं है। और नही किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्राप्त है। उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है। वर्तमान में उक्त भूमि का स्वरूप टॉड एवं परती गढ़ा है। उन्होनें विधिसम्मत भू–वापसी की कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा किये है।

सरकारी अधिवक्ता एवं CNT पैनल अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। विपक्षी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आदिवासी खाते की भूमि का हस्तांतरण वर्ष 1963 को बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से गैर आदिवासी को किस परिस्थिति में किया गया।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से, सरकारी अधिवक्ता एवं CNT पैनल अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा–लेम के पंजी–II के पृष्ठ सं०–132/I में खाता नं०–07 प्लॉट सं०–376, रकवा–2.40 ए०, प्लॉट सं०–377, रकवा–0.15 ए०, प्लॉट सं०–388, रकवा–0.31 ए०, प्लॉट सं०–389, रकवा–0.36 ए०, प्लॉट सं०–390, रकवा–0.59 ए० कुल रकवा–3.81 ए० भूमि के जमाबंदी बिरू

पाहान के नाम से कायम है। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया है कि गैर आदिवासी रैयत की जमाबंदी भी पंजी–II के पृष्ठ सं०–84/I पर तिरतु महतो के नाम से कायम है। लेकिन उक्त जमाबंदी किस सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कायम है, स्पष्ट नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा खतियानी रैयत होने के नाते भूमि पर दावा करते है एवं विपक्षी के द्वारा उक्त भूमि बाजीदावा संख्या–2890, दिनांक–30.05.1963 से भूमि प्राप्ति का दावा करते है। लेकिन उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस सक्षम पदाधिकारी के आदेश से किया गया है। क्योंकि बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से आदिवासी भूमि का हस्तांतरण गैर आदिवासी को किया जाना छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) का उल्लंघन प्रतीत होता है। अचंल अधिकारी, पतरातू के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आदिवासी भूमि का हस्तांतरण गैर आदिवासी के बीच हुआ है, जिसके कारण भू–वापसी की विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है। अर्थात गैर आदिवासी के द्वारा गलत तरीके से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) का उल्लंघन प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–14/2021–22 राम कुमार मुण्डा वगै० बनाम किसुन महतो एवं अन्य में दिनांक–05.01.2023 को पारित आदेश को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) के तहत पारित आदेश को Set-aside करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।
लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 14/11/23
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 14/11/23
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2023.11.16 17:44:11 +05:30
Location: 192.168.194.197